मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शक्ति मोबाइल

- महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी 1535 थानों में शक्ति मोबाइल का गठन किया गया है।
- महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त पाये गये अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाती है। दोषी व परिवारजनों की काउन्सिलिंग की जाती है।

महिला हेल्पडेस्क

- सभी 1584 थानों में (जी.आर.पी. सहित) महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। आधुनिक रिसेप्शन पर ही आगंतुक / शिकायतकर्ता / पीड़ित को उससे सम्बन्धित सारी जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। महिला हेल्पडेस्क पर शिकायतकर्ता को एक टोकन दिया जाता है, जिस पर समस्त जानकारी दर्ज होती है।
- महिला हेल्पलाइन 181 से 5.62 लाख महिलाओं को सहायता।

महिला पुलिस बीट व महिला बीट पुलिस अधिकारी

- सभी 1535 थानों में 10,417 महिला पुलिस बीट का गठन किया गया है। इन नवगठित महिला पुलिस बीटों में 20,740 महिला बीट पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
- इनके द्वारा बीट के गाँव में महिलाओं से संवाद स्थापित कर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी महिलाओं को जागरूक किया जाता है।

महिला साइबर सेल

- सभी 18 परिक्षेत्र मुख्यालयों पर कार्यरत साइबर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत महिला साइबर सेल का गठन किया गया है।
- महिला साइबर सेल, इंटरनेट तथा अन्य सोशल मीडिया एप पर साइबर स्टॉकिंग एवं साइबर बुलिंग शिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र

- सभी जनपदों की दूरस्थ तहसीलों में कुल 61 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र/महिला थाना का गठन।
- ग्रामीण अंचलों में खुले इन नए महिला थानों/रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में महिला सम्बन्धी अपराध/घरेलू हिंसा के मामले में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- इन केन्द्रों पर महिलाओं की शिकायतों और दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तीन तलाक जैसे प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो रहा है।

मिशन शक्ति कक्ष

- प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष की स्थापना की गई है। इन मिशन शक्ति कक्षों में NGO's, आशा बहू, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों में पूर्ण समन्वय स्थापित रहता है। इनके माध्यम से भी महिलाओं को उनकी समस्याओं एवं उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।

महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई

- महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में 19,415 प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा।
- पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में 7,320 अभियोगों में सजा।
- अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2023 के मध्य महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध घटित अपराधों में 10 मामलों में मृत्यु दण्ड, 696 मामलों में आजीवन कारावास, 1,783 मामलों में 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास तथा 4,799 मामलों में 10 वर्ष से कम कारावास की सजा।
- मिशन शक्ति अभियान के तीनों चरणों में प्रदेश के 1,584 थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर कुल 11,96,509 शिकायतें प्राप्त हुई, इनमें से 11,65,461 शिकायतों का निस्तारण।
- महिला हेल्पलाइन 1090 सेवा में 99.55 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण।
- प्रदेश में 3195 एंटी रोमियो स्क्वॉयड गठित। इनके द्वारा 79,68,771 स्थानों पर 2,58,01,293 व्यक्तियों की चेकिंग।

बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में महिला पी.ए.सी. बटालियन का गठन

मातृशक्ति को संबल

- बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा।
- 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को 1 करोड़ 75 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 16 लाख 24 हजार बेटियां लाभान्वित।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3 लाख 10 हजार से अधिक कन्याओं का विवाह सम्पन्न। अनुदान 35,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया गया।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत 54 लाख 44 हजार माताएं लाभान्वित।
- अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज पर जाने की सुविधा।
- घरौनी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगी। अब तक 66 लाख 59 हजार से अधिक घरौनी वितरित।
- लखनऊ सेफ सिटी परियोजना में 100 पिंक बूथ/पिंक आउट पोस्ट, 1090 एनालिटिक सेंटर का लोकार्पण।
- 100 दोपहिया व 10 चार पहिया पिंक पेट्रोल वाहनों का शुभारम्भ।
- महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने हेतु 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना।
- प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त महिला थाना/महिला चौकी (परामर्श केन्द्र) की स्थापना।
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 90 लाख बेटियों को जागरूक किया गया।
- 49,376 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति।
- 2 लाख से अधिक महिलाएं पी.एम. स्वनिधि योजना से लाभान्वित।
- नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए 4,500 पिंक टॉयलेट निर्मित।
- निराश्रित महिला पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त। 31 लाख 50 हजार निराश्रित महिलाओं को प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन।
- 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया।
- मिशन शक्ति अभियान के तहत 8.99 करोड़ महिलाओं को जागरूक किया गया।
- वन स्टॉप सेन्टर : हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सभी जनपदों में स्थापित सेंटर्स में अब तक 1 लाख 49 हजार महिलाएं लाभान्वित।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरुष) की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री 75 हजार रुपये का अनुदान।
- 1,89,789 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत। 1,89,014 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गोदभराई एवं अन्नप्राशन का आयोजन।
- पौत्री (पुत्र की पुत्री), भतीजी (सगे भाई की पुत्री) और भांजियों (सगी बहन की पुत्री) को भी राजस्व संहिता में भौमिक अधिकार।

महिला रात्रि एस्कॉर्ट सुरक्षा योजना
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
सहायता हेतु कॉल किए जाने पर यूपी-112 द्वारा महिला को एस्कॉर्ट कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

सबका साथ-सबका विकास
सबका विश्वास-सबका प्रयास

सशक्त नारी
सशक्त प्रदेश

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गयी है। इसके अन्तर्गत बालिकाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता छह चरणों में प्रदान की ... सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष से यह सहायता राशि ... करने का निर्णय लिया है।

बेटियाँ हैं देश की शान
उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखें पूरा ध्यान

योजना की श्रेणियां तथा धनराशि

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	पंचम श्रेणी	षष्ठम श्रेणी
बालिका के जन्म होने पर ₹ 2000/-	एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर ₹ 1000/-	कक्षा-1 में प्रवेश पर ₹ 2000/-	कक्षा-6 में प्रवेश पर ₹ 2000/-	कक्षा-9 में प्रवेश पर ₹ 3000/-	10वीं/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक/2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर ₹ 5000/-

योजना की पात्रता हेतु अर्हताएं

- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये
- अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ

आवेदन की प्रक्रिया

- बालिका स्वयं (यदि वयस्क हो), माता/पिता या अभिभावक आवेदक हो सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन – कॉमन सर्विस केन्द्रों/साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर आदि से https://mksy.up.gov.in लॉगिन करके आवेदन करें अथवा अपने जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करें।

इस योजना में अब तक 16.24 लाख बेटियां लाभान्वित

निराश्रित महिला पेंशन योजना

- पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र निराश्रित महिला को प्रति लाभार्थी 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

पेंशन के लिए पात्रता

- आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
- राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न हो रही हो।
- sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा।

योजना के अन्तर्गत अब तक 31.50 लाख महिलाएं लाभान्वित

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

- महिलाओं को संगठित, सशक्त, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 8.37 लाख स्वयं सहायता समूहों, 58,... ग्राम संगठनों एवं ... संकुल स्तरीय संघों से जोड़ा गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकतानुसार कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- 5,04,... स्वयं सहायता समूहों को 758.14 करोड़ रुपये रिवॉल्विंग फंड तथा 2,96,... स्वयं सहायता समूहों को 3,238 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश निधि आवंटित किया गया है।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 1840 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया।
- आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित होने वाला पोषाहार अब स्वयं सहायता समूहों द्वारा ... किया जा रहा है। 204 पूरक पोषाहार निर्माण इकाइयों के संचालन से 4000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार।
- 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को आजीविका की दिशा में 2353 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

स्वयं सहायता समूह बैंक के चयन हेतु मापदंड

- समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होनी चाहिए।
- आंतरिक बचत प्रक्रिया समूह का मूल उद्देश्य होना चाहिए।
- सदस्यों को दिये जाने वाले ऋण/बचत की ब्याज दर उनके द्वारा तय की जानी चाहिए।
- ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण करना।
- उन्नत खेती, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, जरदोजी, टोकरी बनाना, दुग्ध व्यवसाय आदि आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं।
- इन आर्थिक गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध।

अब तक 8.37 लाख स्वयं सहायता समूहों से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ीं

बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी

- जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने हेतु प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बी.सी. सखी को पदस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- बी.सी. सखी को प्रति माह 4,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। समूह से जुड़ी महिलाओं को स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
- ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु 49,376 बी.सी. सखी का प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया है, जिनमें 36,546 बी.सी. सखी द्वारा कार्य करते हुए 15,183 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया तथा 39.81 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया।

बीसी सखी योजना की पात्रता

- महिला को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- महिला आवेदक दसवी पास होनी चाहिए।
- उम्मीदवार महिलाएं पैसों का लेन-देन करने में सक्षम होनी चाहिए।
- नियुक्त महिला को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश बी.सी. सखी योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है, जो बैंकिंग काम-काज को समझ सकती हैं और पढ़-लिख सकती हैं।

ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से UP BCSakhi

राष्ट्रीय पोषण मिशन

राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जो अपने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषित भोजन देने में सक्षम नही हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1.77 करोड़ लाभार्थियों को फोर्टिफाइड गेहूँ, दलिया, चना, दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल प्रदान किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उपलब्ध कराये गये स्मार्ट फोन के माध्यम से रियल टाइम मॉनीटरिंग पर आधारित भारत सरकार के 'पोषण ट्रैकर' एप पर लाभार्थियों के पोषण स्तर के अनुश्रवण की व्यवस्था।

उत्तम पोषण उत्तर प्रदेश रोशन

योजना का उद्देश्य

- छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना मिशन का लक्ष्य है।
- योजनान्तर्गत 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को न्यूट्रिशस फूड (पोषक भोजन) उपलब्ध कराया जाता है।
- योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है, जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हों यानी कम वजन या कुपोषण का शिकार होने की सम्भावना हो।

रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष

जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता हेतु इस कोष की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत अब तक 7,105 महिलाओं/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गयी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

- निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा भी उठा सकती हैं।

पात्रता

- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.00 लाख रुपये हो • लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए • योजना उत्तर प्रदेश के निवासियों हेतु संचालित है।

अनुदान राशि

- कन्या के बैंक खाते में 35,000/- रुपये की धनराशि का अनुदान • विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री हेतु 10,000/- रुपये की सहायता • रुपये 6,000/- प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर व्यय किए जाने की व्यवस्था • एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000/- रुपये की धनराशि की व्यवस्था है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म को ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम अथवा जिला मुख्यालय पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 3.10 लाख जोड़ों का विवाह

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- योजना के तहत जननी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले चरण में 1,000 रुपये, दूसरे चरण में 2,000 रुपये और तीसरे चरण में 2,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं। शेष 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता तब मिलती है, जब गर्भवती महिला बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती हो या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो।

आवेदन प्रक्रिया

- लाभार्थी को https://pmmvy.nic.in पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा।

पात्रता

- गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

दस्तावेज

- राशन कार्ड • बैंक खाते की पासबुक • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता दोनों का पहचान पत्र • माता-पिता दोनों का आधार कार्ड

इस योजना से अब तक 54.44 लाख ...